321

संख्या– 73 /VI-II/2013–4(7)2009

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादून दिनांक : 22मार्च, 2013

विषय जनपद हरिद्वार में एससीएसपी योजना के अन्तर्गत आवासीय बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1419/एससीएसपी/2010–2011/दे0दून दिनांक–28 जनवरी, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत आवासी बालिका छात्रावास के निर्माण के सम्बन्ध में प्रथम चरण के कार्यो हेतु ₹ 2.96 लाख (₹ दो लाख छियानवे हजार) मात्र की वित्तीय वर्ष 2012–13 में आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेडयूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराया जाय। कार्य के द्वितीय चरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19–10–2010 के आलोक में शीघ्रता से समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

7– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

8– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत 4202–शिक्षा खेलकूद कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03– खेलकूद तथा युवा सेवायें–102–खेलकूद स्टेडियम–03–इण्डोर हाल व हास्टल का निर्माण मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–284(पी)/ XXVII–3/2012–13 दिनांक–20 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–73 (1)/VI-2/2013–4 (7) 2011 टी0सी0 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश, जनपद हरिद्वार।
7. जिला क्रीड़ा अधिकारी हरिद्वार।
8. एन0आई0सी0 देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव